मुकदमा................................ बनाम ....

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरा नं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज. 0744-2326671

GCMS NO.-2024/329
मिसल नम्बर– 95 / 2024

श्रीमती सावित्री तोमर पत्नी स्व० दशरथ सिंह तोमर आयु 66 वर्ष जाति राजपूत निवासी मकान नं0 1245, तोमर सदन चौक, मंशापूर्ण हनुमान मंदिर, शिवराज डेयरी के पीछे शिवपुरा कोटा (राज0) मो0 9413734472

प्रार्थी।

बनाम

1.श्रीमति रेखा तोमर पत्नी विदित सिंह तोमर
2.विदित सिंह तोमर पुत्र स्व० दशरथ सिंह तोमर जाति राजपूत निवासीगण मकान नं0 1245, तोमर सदन चौक, मंशापूर्ण हनुमान मंदिरए शिवराज डेयरी के पीछे, शिवपुरा कोटा (राज0)

अप्रार्थी।

–:निर्णय:–
(भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र।)
दिनांक 24.5.25

उपस्थितिः–

1.श्री सुरेश वैष्णव अधिवक्ता प्रार्थीया।

भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत पत्रावली निर्णय प्रार्थना पत्र वास्ते पेष हुई। पत्रावली में निहित दस्तावेज यथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र मे प्रार्थीगण पक्ष द्वारा निवेदित संक्षेपित तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया कोटा शहर के शिवपुरा क्षेत्र की सीनियर सिटीजन है और अपने पति की मृत्यु दिनांक 09–08–2018 को हो जाने से विधवा व वृद्ध महिला है। अप्रार्थीया कम 1 प्रार्थीया की बहू और अप्रार्थी कम 2 प्रार्थीया का पुत्र है। प्रार्थीया एक वृद्ध महिला है जिसके पास आय का कोई जरिया नहीं है और अप्रार्थी कम 1 नारायना स्कूल शिवपुरा में 9000 रूपये मासिक पर कार्यरत है तथा अप्रार्थी कम 2 भी अपना प्राईवेट कार्य कर 8000–10000 / रूपये अर्जित कर लेता था। प्रार्थीया के स्व० पति के पीएफ की जमा राशि 1000 / रूपये से ही वृद्धजन पेंशन राशि से ही प्रार्थीया अपना गुजर बसर करती रही है। प्रार्थीया के पुत्र अप्रार्थी कम 2 का विवाह अप्रार्थीया कम 1 के साथ वर्ष 2008 मे सम्पन्न हुआ। विवाह के उपरान्त से ही प्रार्थीया का पुत्र अप्रार्थी कम 2 व प्रार्थीया की बहू अप्रार्थीया कम 1 का व्यवहार आपस में ठीक नही रहा और अप्रार्थीया कम 1 अपने पीहर पक्ष के बहकावे में आकर प्रार्थीया व घरवालो के साथ भांति भांति के तरीको से शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताडित करने लगी जिसके कारण प्रार्थीया के पुत्र अप्रार्थी कम 2 के अप्रार्थीया कम 1 से तलाक तक की नोबत आ गई किन्तु प्रार्थीया के पति के कहने पर बेईज्जती के डर से कोई कार्यवाही

अप्रार्थीया कम 1 के विरूद्ध नही की गई। वर्ष 2017 में प्रार्थीया के पति को लकवा हो गया तब से ही अप्रार्थीया कम 1 का व्यवहार प्रार्थीया के प्रति और अधिक कूर हो गया तथा प्रार्थीया को कुल्हाडी व लाठी से मारने की कोशिश करी तथा वर्ष 2018 में प्रार्थीया के पति का लकवे के कारण निधन हो गया जिसके बाद से ही अप्रार्थीया कम 1 का अत्याचार प्रार्थीया के प्रति और अधिक बढ गया। जिसके संबंध मे प्रार्थीया द्वारा 10–12 बार (वर्ष 2018 से 2024 तक) पुलिस थाना दादाबाडी कोटा व पुलिस अधीक्षक कोटा को शिकायते दी लेकिन कोई राहत प्रार्थीया को अप्रार्थीया कम 1 की हिंसाए शारीरिक व मानसिक कूरता से नही मिली। तब प्रार्थीया ने 181 नम्बर पर शिकायत की तो उन्होने सारे सबूतो व घटना को समझकर प्रार्थीया को सीनियर सिटीजन एक्ट में कार्यवाही करनेए घर से बेदखल करने एवं अप्रार्थी कम 2 का अप्रार्थीया कम 1 से तलाक लेने की सलाह दी। जिस पर अप्रार्थी कम 2 ने दिसम्बर 2023 मे धारा 13 हिन्दू विवाह अधिनियम के तहत विवाह विच्छेद हेतु आवेदन किया। जिसमें अप्रार्थीया कम 1 ने मौके की नजाकत को भांपते हुये राजीनामा कर अप्रार्थी कम 2 द्वारा लगाई गई सभी शर्तों को लिखित रूप में मानते हुये न्यायालय मे पेश किया। उक्त राजीनामे के चरण कम 2, 3 व 4 को लिखित में देकर उक्त तलाक को अप्रार्थीया कम 1 ने जानबूझकर साजिशन विफल कर दिया और पुनः पूर्व की भांति हरकते कर प्रार्थीया को पुनः तंग करना प्रारम्भ कर दिया। प्रार्थीया के मकान के एक कमरे, लेट बाथ पर अप्रार्थीया कम 1 ने जबरदस्ती कब्जा जमा रखा है जबकि उक्त पूरा मकान प्रार्थीया के नाम पर है अप्रार्थी कम 2 अप्रार्थीया कम 1 के अत्याचार व अन्याय के विरूद्ध अप्रार्थीया कम 1 द्वारा पुलिस थाने मे झूठी शिकायते देने व पूर्व की भांति थाने मे बंद करा देने पर आमादा होने के कारण कुछ बोल नही पाता, चुपचाप देखते हुये व अत्याचार, अन्याय को सहन करने को मजबूर है। अप्रार्थी कम 2 ने अपने कब्जे के कमरे व लेट बाथ को खाली कर 3 बार किराये के मकान मे रहने की कोशिश की किन्तु अप्रार्थीया कम 1 घर छोडने को राजी नही होती है और प्रार्थीया से घरेलू सामान की जबरन मांग करती है व सामान नही देने पर प्रार्थीया को बुरी बुरी गालिया देती है। अप्रार्थीया कम 1 प्रार्थीया को कमरे में बंद कर देती है। प्रार्थीया को लेट बाथ व किचन में जाने नहीं देती है। प्रार्थीया ने अप्रार्थीया कम 1 को कई मर्तबा अपने स्वामित्व के मकान के कब्जे वाले पोर्शन को खाली कर चले जाने का निवेदन किया लेकिन अप्रार्थीया कम 1 अप्रार्थी कम 2 को ऐसा करने से जबरन रोक देती है। अप्रार्थीया कम 1 प्रार्थीया को उक्त मकान से बेघर कर उक्त मकान को हडपना चाहती है। अप्रार्थी कम 2 के डिप्रेशन मे रहने से उसके शराब पीने की लत लग गई जिसके कारण अप्रार्थी कम 2 कोई काम धंधा नही कर पाता है और अप्रार्थीया कम 1 के अत्याचार के प्रति चुपचाप रहता है और सहन करने के अलावा अप्रार्थीया कम 1 का कुछ नही कर पाता है। प्रार्थीया उक्त मकान का विक्रय करना चाहती है किन्तु अप्रार्थीया कम 1 के द्वारा उक्त मकान को देखने आने वालो को मकान में घुसने तक नही देती है और कब्जा नही छोडने की धमकी देती है जिसके कारण प्रार्थीया उक्त मकान का न तो विक्रय कर पा रही है और ना उसे किराये पर दे पा रही है। प्रार्थीया के प्रति हिंसा, मारपीट व गाली गलौच के कम में अप्रार्थीया कम 1 के द्वारा दिनांक 03–03–2024 को प्रार्थीया को धक्का दिया, बरामदे मे खडी मोटरसाईकिल की हैड लाईट को तोड दिया गया और डण्डे से प्रार्थीया पर प्रहार करने का प्रयास किया गया। इसी प्रकार दिनांक 09–07–2024 को भी अप्रार्थीया कम 1 द्वारा अप्रार्थी कम 2 पर ईट फेंककर मारने का प्रयास किया गया और प्रार्थीया के बचाव के लिये आने पर प्रार्थीया को भी डण्डे से पीटने का प्रयास किया गया। जिसकी सीसी टीवी फुटेज की रिकार्डिंग भी प्रार्थीया के पास मौजूद है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थीया को समुचित संरक्षा, सुरक्षा

प्रदान करते हुये अप्रार्थीगण को मौखिक लाईसेन्स पर दिये गये उक्त मकान से बेदखल करवाया जावे ताकि प्रार्थीया उक्त कमरे किचन को आय हेतु अपने जीविकोपार्जन के लिये किराये पर देकर अथवा उक्त मकान को बेचकर प्राप्त आय से अपना शेष जीवन शांति से अपना जीवन व्यतीत कर सके।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस प्रेषित किये गये। बाद तामील अप्रार्थीगण उपस्थित नही हुये है। अतः बावजूद सूचना के उपस्थित नही होने के कारण अप्रार्थीगण के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

तत्पश्चात पत्रावली बहस वास्ते नियत की गई। प्रार्थीया की ओर से दौराने बहस अपने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुये अप्रार्थीगण को बेदखल किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया बहस पर गंभीरता पूर्वक मनन किया। प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी कम 1 द्वारा प्रार्थीया के साथ बदसलूकी, गाली गलौच एवं मानसिक पीड़ा देने का कथन किया है। प्रार्थीया द्वारा अपने कथनों के समर्थन में पैन ड्राईव प्रस्तुत किया है। पैन ड्राईव को साक्ष्य के रूप से ग्राह्य तो नही किया जा सकता है परन्तु न्याय निर्णयन के लिए मार्गदर्शन जरूर लिया जा सकता है। प्रार्थीया के ओर से प्रस्तुत पैन ड्राईव के अवलोकन से प्रार्थीया द्वारा किये गये कथनों की पुष्टि नही होती है एवं प्रार्थीया द्वारा ऐसा कोई स्पष्ट दस्तावेज भी प्रस्तुत नही किये है जिससे प्रार्थीया के कथनों को प्रमाणित किया जा सके। पत्रावली के साथ प्रस्तुत दस्तावेज न्यायालय पारिवारिक न्यायाधीश कम 2 कोटा में प्रस्तुत राजीनामा के अवलोकन से यह तथ्य प्रकट होता है कि प्रार्थीया के पुत्र एवं पुत्रवधु के मध्य संबंध मधुर नही है जिस कारण से घर में अशांति उत्पन्न होती है। चूंकि प्रार्थीया अपने उक्त कथनों को सिद्ध करने में असफल रही है। जिस कारण से प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत भरण पोषण अधिनियम स्वीकार कर अप्रार्थीगण को उक्त मकान नं0 1245, तोमर सदन चौक, मंशापूर्ण हनुमान मंदिर, शिवराज डेयरी के पीछे शिवपुरा कोटा से बेदखल किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। परन्तु न्यायहित एवं सीनियर सिटीजन एक्ट की भावना को मद्देनजर रखते हुये अप्रार्थीगण को पाबंद किया जाता है अप्रार्थीगण प्रार्थीया के साथ गाली गलौच एवं मारपीट नहीं करे और ना ही उनके साथ किसी प्रकार की शारीरिक एवं मानसिक क्रूरता कारित करे तथा उनके शांतिपूर्ण जीवन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें। यदि अप्रार्थीगण द्वारा उक्त आदेश का पालना नही की जाती है कि तो प्रार्थीया उक्त मकान से अप्रार्थीगण की बेदखली हेतु पुनः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत भरण पोषण अधिनियम प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है।

उक्त निर्णय आज दिनांक 20/5/25 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
कोटा